अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

अपील वाद संख्या 39/2012

मो0 युसुफ एवं अन्य –– अपीलार्थी

बनाम

मो0 कियाम उद्दीन –– रेस्पाण्डेन्ट/विपक्षी

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के न्यायालय के आदेश 18.01..2012 ई० अंदर भूमि विवाद वाद संख्या– 63/11 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है ।

अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं निम्नन्यायालय के आदेश में दर्ज तथ्यों के अनुसार संक्षेप में मामला यह है कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी मो0 कियाम उद्दीन पिताः स्व0 मुस्लिम, सा0ः सिटानाबाद, थानाः सिमरी बख्तियारपुर, जिलाः सहरसा द्वारा केवाला खरीदगी भूमि मौजाः सिटानाबाद के पुराना खाता 992 नया खाता 1011 पुराना खेसरा 2373, 2374 एवं 2378 नया खेसरा 5066 रकबा 7.08 डी0 जिसका चौहद्दीः उत्तरः खरीददार कियाम उद्दीन दक्षिणः सड़क, पुरब निज विकेता एवं पश्चिमः खरीददार हैं को अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण मो0 युशूफ वो0 अयुब वो मो0 इफ्तकार पेसरान स्व0 मुस्लिम, सा0ः सिटानाबाद द्वारा जोर जबर्दस्ती कब्जा करने एवं जबर्दस्ती घेरा तोड़कर दखल कब्जा करने के विरूद्ध निम्नन्यायालय के समक्ष वाद दाखिल किया गया था जिसे निम्नन्यायालय द्वारा रेस्पोण्डेन्ट/वादी का अर्जी दावा स्वीकृत किया गया है।

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण कथन करते है कि अपीलार्थी/पतिवादी ने विवादी खेसरा की भूमि को अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण एवं रेस्पोण्डेन्ट/वादी के नाम खरीदगी भूमि बताते हुए शिड्युल "क" की भूमि को मुताबिक बॅटवारा के अपीलार्थी/प्रतिवादी कमांक 1 से अपीलार्थी/ प्रतिवादी कमांक 3 के हाथ निबंधित दस्तावेज संख्या 132 दिनांक 19.08.09 को बिकी कर दिया। रेस्पोण्डेन्ट/वादी ने इसी जमीन को अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण से झंझट करने के उद्देश्य से दिनांक 14.09.10 ई0 को नाजायज केवाला अपने पक्ष में करवा लिया जबकि उक्त केवाला के आधार पर सरजमीन पर कोई भूखण्ड कायम नहीं है और न ही रेस्पोण्डेन्ट/वादी अपनी खरीदगी भूमि पर दखलकार हैं। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण मो0 मुस्लिम के बंशबृक्ष को दाखिल कर विवादी भूमि पर रेस्पोण्डेन्ट/वादी की दखल कब्जा पर प्रतिकूल कथन करते है तथा इस आधार पर यह भी कथन करते है कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी को प्राप्त केवाला के आधार पर विवादी भूमि के अधिकारों

के प्रख्यापन का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। यह भी कथन करते है कि वाद पत्र में किस अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा विवादी भूमि को दखल कर लिया गया है इसका कुछ भी स्पष्ट उल्लेख अर्जी आवेदन में उल्लेख नहीं किया गया था, इसी आधार पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा विवादी भूमि के अधिकार एवं प्रख्यापन की भी घोषणा की मांग की गई थी।

रेस्पोण्डेन्ट/वादी कथन करते है कि निबंधित दस्तावेज संख्या 8329 दिनांक 29.05.10 ई0 के द्वारा विवादी भूमि खरीदगी एवं अंचल सिरिस्ता में जमाबन्दी नं 6651 कायम हुआ एवं जिसकी मालगुजारी रसीद प्राप्त है। रेस्पोण्डेन्ट्स /वादी ने पुनः दिनांक 14.01.2010 को निबंधित दस्तावेज संख्या 217 के द्वारा खाता पुराना 992 खेसरा पुराना 2374, 2375, 2376 एवं 2377 रकबा कमशः 20 डी0, 144 डी0, 53 डी0 अर्थात कुल रकबा 2 एकड़ 17 डी0 मिलजुमला में से 44 डी0 का भूमि रेस्पोण्डेन्ट/वादी के नाम से केवाला हुआ एवं जिसकी जमाबन्दी 6772 रेस्पोण्डेन्ट/वादी के नाम कायम है। मुस्लिम कानून के मुताबिक मो0 मुस्लिम के मृत्यु पश्चात उनके नाम खरीदगी भूमि को रेस्पोण्डेन्ट/वादी एवं अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण उनके पॉच पुत्र के बीच बॅटवारा हुआ तथा स्व0 मुस्लिम के पॉचों पुत्र अर्थात प्रत्येक भाई को 5.08 डी0 भूमि का हिस्सा हकियत हुआ व दखलकार हुए। कालान्तर में एक भाई मो0 निजाम को अपने हिस्सा की भूमि का बिक्री करना आव यक हुआ एवं *इनके हिस्सा की भूमि को रेस्पोण्डेन्ट/वादी ने दो निबंधित दस्तावेज दिनांक 29.05.10 एवं 14.09.2010 द्वारा कुल हिस्सा हकियत की रकबा 51.08 डी0 जमीन खरीद कर ली गई एवं तदनुसरार अचल सिरिस्ता में नाम दर्ज कराकर दखलकार है।* रेस्पोण्डेन्ट/वादी के खरीदगी भूमि के कुछ अंश भाग को अपीलार्थी/ प्रतिवादी द्वारा बाजबर्दस्ती कब्जा कर दखल कर लिया गया एवं शेष जमीन को भी दखल कब्जा कर लेने की धमकी देने के आधार पर विवादी भूमि के अंश रकबा 7.08 डी0 जमीन को प्रतिवादी द्वारा दखल कब्जा करने के कारण पुनः दखल दिलाने तथा खरीदगी भूमि पर वादी के अधिकार एवं दखल कब्जा का प्रख्यापन करने की मांग निम्नन्यायालय से की गयी थी वो ***निम्नन्यायालय द्वारा रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा प्राप्त निबंधित दस्तावेज दिनांक 29.05.2010 एवं निबंधित दस्तावेज दिनांक 14.09.2010 से प्राप्त रेस्पोण्डेन्ट/ वादी के दखल कब्जा की भूमि पर से प्रतिवादी द्वारा जिस किसी अंश पर दखल कब्जा कर ली गयी है तो उसे स्वयं कानूनी समय–सीमा के एक माह अन्दर हटा लेने, तदुपरान्त अन्यथा की परिस्थिति में प्रावधानों के अन्तर्गत रेस्पाण्डेन्ट /वादी दखल कब्जा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र किया गया है वो संदर्भ के निश्वत दावित भूमि पर रेस्पोण्डेन्ट/वादी के अधिकार एवं दखल का प्रख्यापन किया गया है।*** इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी/परिवादी द्वारा इस न्यायालय में अपील वाद दायर कर निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए समुचित आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है *कि विवादित खेसरा की भूमि पर रेस्पोण्डेन्ट/ वादी मुताबिक निबंधित दस्तावेज दिनांक 29.05.2010 एवं 14.09.2010 की खरीदगी भूमि पर अधिकार एवं दखल प्राप्त है। अपीलार्थी/ प्रतिवादी द्वारा उक्त केवाला खरीदगी भूमि के वादी के दखल कब्जा में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करना न्याय संगत नहीं है। अपीलार्थी/प्रतिवादी को रेस्पोण्डेन्ट/वादी के उक्त केवाला खरीदगी से किसी प्रकार का हकतलफी होता है तो सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद लाकर अपना हक प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।* अस्तु निम्नन्यायालय के द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

31/8/2017

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

31/8/2017

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा